न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, नगर उंटारी।

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

बेदखली वाद सं 01/15-16

राम चन्द्र सिंह वगै० ——— आवेदक

बनाम

रोजा मियां ——— विपक्षी

12.9.17

आदेश

अभिलेख अंतिम निस्तार हेतु उपस्थापित। प्रस्तुत वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र पर प्रारम्भ की गई है उक्त वाद स्थान ग्राम- गमियारी कला के खाता सं. 01 प्लॉट 965 रकबा 1.65 एकड़ भूमि बन्दोबस्ती परवाना से प्राप्त है जिसे विपक्षी बेदखल कर दिए है आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत करें एवं अंचल अधिकारी, धुरकी से जांच-प्रतिवेदन की मांग करें।

उभय पक्ष उपस्थित होकर अपना-अपना कागजी साक्ष्य प्रस्तुत किए एवं निम्न न्यायालय से ~~[illegible]~~ जांच प्रतिवेदन प्राप्त।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को प्रश्नगत भूमि बन्दोबस्ती वाद सं० 53/95-96 से प्राप्त है जिसका लगान रसीद कटती है विपक्षी के द्वारा आवेदक के नाम से बन्दोबस्त भूमि को

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	विपक्षी जबरजस्ती दाखल-कब्जा कर लिए है जिसे दाखल-दहानी दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है आवेदक अपने दावे के समर्थन में बन्दोबस्ती परवाना, लगान रसीद दाखिल किए है विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व ग्राम-गनियारी कला के खाता सं० 1/92 प्लॉट 965 रकबा 0.72 एकड़ के साथ कुल रकबा 7.98½ एकड़ का मांग विपक्षी के नाम से चलता है विपक्षी के द्वारा उक्त खाते में भूमि क्रय की गई है खाता 1 प्लॉट 965 गैरमजरुआ 50 एकड़ का रकबा है जिसमें विभिन्न रैयतो के दाखल-कब्जा में है विपक्षी के द्वारा वर्ष 1983-84 में भूमि क्रय की गई है तब लेकर आज तक दाखल कब्जा में है आवेदक को खुद ज्ञात नहीं है कि मुझे भूमि किस जगह पर है यदि बन्दोबस्तधारी के दाखल-कब्जा में विगत 5 वर्षों तक नहीं किया जाता है तो वैसे बन्दोबस्ती को चिन्हित कर रद्द किया जाना चाहिए। विपक्षी के द्वारा यह भी कहा गया कि जो भूमि तीन बार हस्तानान्तरित हो गया है जिसपर 84-85 से लेकर आज तक	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। आवेदक आगन्तुक का विपक्षी को परेशान करते हैं। ऐसी परिस्थिति में आवेदक का आवेदन-पत्र खारिज योग्य है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं के तर्कों एवं अंचल अधिकारी के जांच-प्रतिवेदन का अवलोकन किया। आवेदक को प्रश्नगत खाते प्लॉट 2 में बन्दोबस्ती परवाना से प्राप्त है, जिसमें 0.48 डी० भूमि से बेदखल विपक्षी के द्वारा किए जाने की बात लाई गई है जबकि अंचल अधिकारी के जांच-प्रतिवेदन में विपक्षी रोजा मियां के द्वारा दखल-कब्जा नहीं किए जाने की उल्लेख किया गया है। जांच-प्रतिवेदन में आवेदक के नाम से बन्दोबस्त भूमि का तर्कुपक अंचल के द्वारा किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अंचल अधिकारी, धुरकी को आदेश दिया जाता है कि आवेदक के नाम से बन्दोबस्त भूमि का सीमांकन कराते हुए दखल-दहानी दिलाना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्रवाई का अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल पदाधिकारी नगर उंटारी। 14/2/17 अनुमण्डल पदाधिकारी नगर उंटारी।	